उच्च शिक्षा विभाग
छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों की
स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओ में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त

1. प्रयुक्तिः-

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ के सभी शासकीय /अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत् अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपाठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम समेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथिः-

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना

महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए अस्थायी प्रवेश महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किये जायेंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र ,जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। बोर्ड /विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संख्या के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

स्थानांतरण प्रकरण छोड़कर 30 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रति वर्ष प्राचार्य प्रवेश देने मे सक्षम होंगे। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय /बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क)में

उल्लेखित,कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र / पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये , किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक क ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान ब में हो गया , इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय मे अब वह प्रवेश लेना चाहता है रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक ख ने स्थान (अ)के जहां उसके पालक कार्यरत थे , किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) में स्थानांतरण होते ही , स्थान (ब)के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है ,अत: अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को व.प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुर्नमून्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुर्नमूल्यांकन के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक , संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पशचात् गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मुल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण :-

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था , प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण /उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते है तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करे। तथा उच्च शिक्षा संचालनालय /उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढे हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करे।

3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में बार कौसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन)में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय /विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्ही निर्धारित विषय /विषस समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची :-

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित् अंतिम तिथि की सूचना देते हुए , प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिकार देय है ,वहां अधिकार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची , प्रतिशत अंक सहित , सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मुल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण -पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण -पत्र पर प्रवेश दिया गया है रद्द की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण -पत्र की मूल प्रति का निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा ,तथापि ऐसे प्रकरणों में 30 जूलाई के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नही दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण -पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट)के आधार पर प्रवेश नही दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में , निकटस्थ पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिय थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय में प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करने के साथ- साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रेंगिग /अनुशासनहीनता /तोड़फोड आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपार्ट को सीलबन्द लिफाफे में वन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र /छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

4.7 छत्तीसगढ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2653/2014/38-1 दिनांक 10.09.2014 अनुसार राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक स्तर की छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2014-15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है। का पालन किया जाए।

5.प्रवेश की पात्रता :-

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

CS Scanned with CamScanner

(क) छत्तीसगढ के मूल/स्थायी ,छत्तीसगढ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी /राज्य या केन्द्र सरकार में शासकीय कर्मचारी ,अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंको तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ में है , उनके पुत्र /पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षार उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्याल सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ह...विद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 स्नातक स्तर , नियमित प्रवेश :-

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नही दिया जायेगा। बी.एच.एस.सी.प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्नातक स्तर पर प्रथम /द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय /तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश:-

(क) बी.कॉम./बी.एच.एस.सी./बी.ए. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम. काम./एम.एच.एस-सी./एम.ए. पूर्व एवं निवेदित विषय लेकर ,बी.एस.सी.उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.-सी/एम.ए.पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्वति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. नियम :-

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।

2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :-

(क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) एल.एल.बी. प्रथम/द्वितीय एवं एल.एल.एम.पूर्वाद्ध परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को क्रमशः एल.एल.बी. द्वितीय ,तृतीय एवं एल.एल.एम. द्वितीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता होगी।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंकसीमा :-

(क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा,प्रवेश यदि प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है तो 40% तथा जहां प्रवेश परीक्षा के माध्यम से नहीं दिया जाता ,वहां 45% होगी। एल.एल.एम.पूर्वार्द्ध में 55 % अंक प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.6 AICTE/ BAR COUNCIL OF INDIA/ MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठयक्रमों में प्रवेश/ संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6.समकक्ष परीक्षा:-

6.1 सेन्ट्रल बार्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.)इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजूकेशन (आई.सी.एस.ई.)तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों /इंटरमीडिएट बार्ड की 10 +2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्डो की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते है।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ युनिवर्सिटी)के सदस्य हैं। उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ में विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोडकर) जो दूरवर्ती पाठयक्रम संचालित करते है, किन्तु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,

Scanned with CamScanner

नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ राज्य में अध्ययन केन्द्र/आफ कैम्पस आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/ डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओ की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं ,जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं है। की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

6.4 वर्ष 2012 में प्रारंभ किये गये एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठयक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1-52 अप्रैल 2014 के अनुसार -

जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध है। वर्ष 2012 में प्रारंभ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठयक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाण पत्र प्रदान किये जा रहे है। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक पूर्व किसी भी पाठयक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक है तथा जिनके पास 2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नातक पूर्व पाठयक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहे हो तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सकें।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.काम /बी.एस.-सी /बी.एच.एस.-सी में एकीकृत पाठ्यक्रम लागु होने से छत्तीसगढके किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम /द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमश: द्वितीय /तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय /स्वशासी महाविद्यालय में पढाये जा रहे विषयों /विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने की पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीसगढ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय /स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम /द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम ,द्वितीय तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम /द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनकें द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे। राज्य से बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/ विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

8.1 स्नातक स्तर की प्रथम /द्वितीय परीक्षा में एक विषय मे पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट)प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी

8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम /द्वितीय /तृतीय में पूरक /एटी-केटी प्राप्त आवेदको को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 विधि स्नातक प्रथम/द्वितीय में निर्धारित एग्रीगेट 48 %पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।,

8.4 उपरोक्त केडिका 7 के खण्ड 1एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण प्रवेश छात्र /छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वत: निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप मे मान्य किया जावेगा।

Scanned with CamScanner

९. प्रवेश हेतु अर्हताएं :-

9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा , उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व मे उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है और या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हो , परीक्षा में या पूर्व रूप में छात्रों /अधिकारियों /कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार /मारपीट करने के गंभीर आरोप हो /चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो , ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिये प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़-फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पति को नष्ट करने वाले /रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिये अधिकृत है ।प्राचार्य इस हेतु कमेटी गठित कर जॉच करवाये एवं जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र/छात्राओं को छत्तीसगढ राज्य के किसी भी शासकीय /अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।

9.4 (क) स्नातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वर्द्ध/ प्रथम सेमेस्टर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्यत: 27 वर्ष मान्य की जाएगी।

(ख) आयु सीमा का वह बंधन किसी भी राज्य सरकार /भारत सरकार के मंत्रालय /कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों , भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिये विदेशी मुद्रा में पेमेन्ट सीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।

(घ) संस्कृत महाविद्यालयों मे प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(ङ) विधि संकाय को छोडकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /पिछडे वर्ग /विकलांग विद्यार्थियों /महिला आवेदकों के लिये आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट रहेगी।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी के उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नही होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरान्त लगने वाले महाविधालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को , विधि संकाय को छोड़कर अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नही होगी।

१०. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से लिया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं मे प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है , तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंको के आधार पर , तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

११. प्रवेश हेतु प्राथमिकता:-

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक /स्नातकोत्तर / विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार , अर्हकारी परीक्षा में उतीर्ण नियमित /भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी /स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.2 स्नातक /स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार , अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित, भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी /एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र/स्वाध्यायी छात्रों के क्रमानुसार रहेगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक प्राप्त छात्रों के पहले उतीर्ण , परन्तु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे , अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान/तहसील /जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिले के

CS Scanned with CamScanner

समीपस्थ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों मे आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय /विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर /तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे आवेदक के निवास स्थान /तहसील/जिला में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे आवेदक के निवास स्थान/तहसील/जिलों में स्थित या आसपास के अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय/ विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावेगा। स्थान रिक्त रहने पर एवं गुणानुक्रम में आने पर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।

11.5 परन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वाशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा ,किसी एक विषय की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण:-

छतीसगढ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा :-

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा अर्थात् -

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत् सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटें अन्य पिछडे वर्गो के लिए आरक्षित रहेगी।

परन्तु जहां अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथि (यों) पर रिक्त रह जाती है, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी जहां खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथि पर रिक्त रह जाती है तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर रूप से अवधारित किया जाएगा।

(2) नि:शक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गो के संबंध में क्षेतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 3 % स्थान आरक्षित रहेंगे।विकलांग आवेदकों को प्राप्तांकों को 10 %अंको का अधिभार देकर दोनों वर्गो का सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा।

12.4 सभी वर्गो के उपलब्ध स्थानों में से 30 % स्थान महिला छात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेगी ,परन्तु यदि ऐसा विधार्थी किसी संवर्ग जैसे -स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी मे भरी मानी जावेगी ,शेष संवर्ग की सीटे भरी जायेगी।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा , 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।

12.8 समय- समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129 (3) में यह निर्देश दिया गया है कि- "We direct the Centre and the state Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments."

Scanned with CamScanner